

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
MANTRALAYA, VALLABH BHAVAN, BHOPAL-462004**

:: NOTIFICATION ::


Bhopal, Dated 31/01/2022

No. F A 3-63/2020/1/V (12) : In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F A 6-63-2020-1-V(87) dated 29-12-2020 namely:-

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure "31st January, 2022", the word and figure "31st May, 2022" shall be substituted.

By Order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh


(R.P. Shrivastava)
Dy. Secretary
Government of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 31/01/2022

क्रमांक एफ ए 3-63/2020/1/पांच (12) : मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-6-63-2020-1-पांच (87) भोपाल, दिनांक 29.12.2020 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-63-2020-1-पांच (71) भोपाल, दिनांक 29.10.2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द "31 जनवरी, 2022" के स्थान अंक एवं शब्द "31 मई, 2022" प्रतिस्थापित किये जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी. श्रीवास्तव)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग